Regd Post

1.45020/01/2014-Pers-II
Government of India
Ministry of Home Affairs
Police.II Division

North Block, New Delhi
Dated the 24 July, 2014

To

Shri Sunil Kumar Gupta,
S/o Shri Saryug Prasad Gupta
Purani Bazar, Lakhisaraia, (near Dak Banglow), Bihar - 811311

Subject:- **RTI, Act, 2005-– Acton taken on letter/petition dated 28.05.2013 & 31.03.2014- regarding**

Sir,

Please refer your RTI application dated 11.06.2014 received through Shri S.Samanta, Under Secretary, RTI Cell, MHA, New Delhi vide his OM No.A-43020/01/2014-RTI dated 05.07.2014 on the subject cited above.

2. You are informed that letter/petition dated 28.05.2013 & 31.03.2014 as referred in aforesaid RTI application were not received by the undersigned. However, your said application is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act, 2005 to CPIO, CRPF Directorate, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, as reply/action is falling in the domain of CRPF.

3. In case you are not satisfied with this reply, the appeal in the case lies with Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, Joint Secretary (Police-II), MHA. The appeal may be filed within 30 days from the date of receipt of this reply.

Yours faithfully,

(Shantanu)
Director (Pers) & CPIO
23092933

Copy along with a copy of RTI application dated 11.06.2014 of Shri Sunil Kumar Gupta, is transferred under Section 6(3) of RTI, Act, 2005 to:-

1. Ms. Anupam Kulshreshtha, DIGP(Adm) & CPIO, CRPF, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 03 for giving the reply directly to the applicant on above dated RTI application.

2. IT Cell, MHA for uploading the data on MHA's website.

(Shantanu)
Director (Pers) & CPIO
☎ 23092933

Copy to:

1. Shri S.Samanta, Under Secretary, RTI Cell, North Block, MHA with reference to his OM dated 05.07.2014.

(Shantanu)
Director (Pers) & CPIO
☎ 23092933

307 201/2014/JS(JUDL) 11/07/2014 — 11/7/2014 (6)

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई, 2014.

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ सुनील कुमार गुप्ता का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ सुनील कुमार गुप्ता के दिनांक: 11/06/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में न्याय विभाग से अंतरण द्वारा दिनांक: 30/06/2014 को प्राप्त) को न्यायिक प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क ~~दिनांक: / /2014 की रसीद~~ न्याय विभाग में ~~के तहत~~ जमा कर दिया है। ~~संलग्न/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

सु. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

संयुक्त सचिव (न्यायिक)
गृह मंत्रालय
एन.डी.सी.सी.-II भवन
नई दिल्ली।

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ सुनील कुमार गुप्ता,
ग्राम पुरानी बाज़ार
जिला लखी सराय - 811311
बिहार।

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

USC (PDD) 11/7

not for SO (J-I) may be for Police-II Division

R/sir any Ref this section

11 JUL 2014

45०4/RTI/MHA/2014
30/6/14

आर. टी. आई.मामला

सं. 15011/63/2014- न्याय(ए. यू.)-(X)

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

26, मानसिंह रोड, जैसलमेर हॉउस,
नई दिल्ली-110011
दिनाक: 25/6/2014

सेवा में, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी
आर. टी. आई सेल,
गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/सुश्री सुनील कुमार गुप्ता का आवेदन प्रेषित करना |

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप धारा (3) के अंतर्गत श्री/श्रीमती/ सुश्री सुनील कुमार गुप्ता का दिनांक 11/6/2014 (23/6/14 को प्राप्त) आर. टी. आई. आवेदन प्रेषित करने का निर्देश हुआ है|

2. यदि यह आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तो इसे उस आवेदक को सूचना देते हुऐ इसे उस लोक प्राधिकारी के पास अंतरित/ प्रेषित कर दिया जाए जिसका इस विषयवस्तु से निकट संबंध है|

भवदीय,

JS (Judicial)

(सुनील कुमार गुप्ता)
अनुभाग अधिकारी एवं केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

संलग्लक: उपरोक्त के अनुसार

प्रति सूचनार्थ :

श्री/ श्रीमती/ सुश्री सुनील कुमार गुप्ता, पिता श्री सरयुग प्रसाद गुप्ता, ग्राम - पुरानी बाजार, लखीसराय डाकबंगला के निकट, जिला - लखीसराय, पिन कोड - 811311

2465/35(JII)2014
1916

Ministry of Home Affairs
RECEIVED
JM(C) SP/RTI
17 JUN 2014
Signature.......

80/RTI/SO(A)/14
23/6/14

सेवा में,

संयुक्त सचिव II

न्याय विभाग- नई दिल्ली

जैसलमेर- हाऊस- मानसिंह रोड

नई दिल्ली - 110011

विषय => पुन: योगदान के संबंध में

महाशय,

सविनय निवेदन है की मैं सुशील कुमार गुप्ता ग्राम- लखीसराय पुरानी बाजार, डाकबंगला के पास पिन कोड- 811311 का स्थाई निवासी हूँ। मैं दिनांक- 31-03-14 एवं 28-05-13 में महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को अर्जी दी थी और मैं पुन: आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ की मेरी बच्ची और परिवार के भविष्य को देखते हुए प्रार्थी को जल्द से जल्द पुन: योगदान कराने की कृपा प्रदान करें। आप हमारे भगवान स्वरूप हैं।

अत: श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है की दया और क्षमा करने की कृपा प्रदान करें। आपका सदा आभारी रहूँगा।

अत: आपसे प्रार्थना है की दिये गए पते पर भेजने की कृपा प्रदान करे

दिनांक => 11-06-14

JS II

SO(AU)
CAPIO

23/6/14
MHA

आपका विश्वासी
सुशील कुमार गुप्ता
नाम => सुशील कुमार गुप्ता
पिता => श्री सरयुग प्रसाद गुप्ता
ग्राम => पुरानी बाजार
लखीसराय डाकबंगला के निकट
जिला => लखीसराय

NEW PETITION IN CONTINUATION OF [illegible]
EARLIER PETITION NO. [illegible]/2013

सेवा में,

महामहिम - राष्ट्रपति महोदय
भारत - सरकार
[illegible], नई दिल्ली

विषय :- सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अस्वीकृत आदेश को रोकते हुऐ पुनः दया, क्षमादान कर पुनः योगदान करने की कृपा प्रदान करें।

महादय,

सविनय निवेदन यह है कि मै सुनील कुमार गुप्ता, पिता- श्री सरयगु प्रसाद गुप्ता, ग्राम-पुरानी बाजार (डाक बंगला) के निकट, पो0- लखीसराय, थाना-लखीसराय, अनुमंडल लखीसराय (बिहार) का निवासी हूँ।

(1) नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मै रक्षक बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ।

(2) सरकार द्वारा नक्सल क्षेत्र में मुख्य धारा से जोड़ने का अभियान चलाई है।

(3) यह कि मै अनुशासन प्रिय, कानून प्रिय, न्यायप्रिय एवं भारतीय संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ।

(4) यह कि मै सुनील कुमार गुप्ता दिनांक- 11.12.92 को सी0आर0पी0एफ0 विभाग में सिपाही/ जी0डी0 पद पर भर्ती हुए।

(5) यह कि मेरा बल संख्या- 920950369 है।

(6) यह कि मै दिनांक-11.12.92 से आज तक सी0आर0पी0एफ0 के सभी धाराएं एवं उप धाराएं की मार्यादा रखते हुए अनुशासित रहकर अपनी डियूटी पर तैनात रहा।

(7) यह कि मैंने डियूटी के दौरान कभी कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे संबंधित विभाग को कोई नुकसान हुआ हो।

(8) यह कि मै आज तक के सर्विस के दौरान न तो कभी विभाग के कोई नियम का उल्लंघन किया हूँ और न तो कभी कोई नियम के विरूद्ध काम करने की कोशिश किया हूँ।

(9) यह कि मै विभाग के सभी नियमों का पालन किया था, कर रहा हूँ और करता रहूँगा का शपथ लिया हूँ।

(10) यह कि मै अभी तक के सर्विस के दौरान जहाँ विभाग द्वारा स्थानांतरण किया गया तदनुसार अनुशासन एवं विभाग के सभी नियमों का सम्मान करते हुए आदेश का पालन काफी चुस्ती के साथ किया।

(58) यह कि मेरे सभी तरह की अर्जी एवं सूचना को दरकिनार करते हुए अपने कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक के पत्रांक संख्या–पी–8–2/02 स्था0–2 दिनांक- अप्रैल 2002 के माध्यम से छुट्टी बढ़ाने के बजाय सेवा से बर्खास्त डिसमिसल का ही सजा दे दिए यह कैसा न्याय है।

(59) यह कि उप महानिरीक्षक सी.आर.पी.एफ. पटना ने भी अपने पत्र संख्या–पी0–आर0–एस.के.जी. (ग्रु0के0मुज0)/02 स्था–एक दिनांक–21 अगस्त 2002 के माध्यम से अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र सी.आर.पी.एफ.मुज0 का पक्ष लेते हुए सही करार देकर मेरे आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिये।

(60) यह कि मैं अपने परिवार का एक मात्र कमाऊं लड़का हूँ।

(61) यह कि नौकरी के सिवा मुझे दूसरा कोई अर्थोउपार्जन का साधन नही है। इस बीमारी के कारण मैं कर्ज से दब गया हूँ मैं बिमारी हालत में भी डियूटी पर जाने के लिए तैयार था। किन्तु अकेलापन आदि समस्याओं ने मुझे नहीं जाने से मजबूर कर दिया। पत्नी मेरे डिसमिसल के बारे में जानकर चिन्ता फिक्र से मेरे शारीरिक स्थिति को देखकर रोते बिलकते रहती है। अब मेरी सभी तरह की शारीरिक स्थिति ठीक हो गई है अब मैं अपना डियूटी आसानी से कर सकता हूँ।

अतः श्रीमान् से क्रमबद्ध प्राथना है कि मेरे बच्चे और परिवार की स्थिति एवं मजदूरी को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के अस्वीकृत आदेश को पुनः क्षमा दान देने की कृपा प्रदान करें। इसलिए सपरिवार आपका सदा आभारी रहूँगा।

विश्वासभाजन

सुनील कुमार गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
बल सं0– 920950369
पिता– सरयुग प्रसाद गुप्ता
पुरानी बाजार, लखीसराय
(डाक बंगला के पास)
जिला– लखीसराय
पिन– 811311 (बिहार)।

पाँच टेका पाँच टाका પાંચ રૂપિયા ಐದು ರೂಪಾಯಿ پانچ روپے پانچ روپیہ ഞ്ചു രൂപ पाच रुपये ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ਪੰਜ ਰੁਪਏ पञ्च रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO संयुक्त सचिव II
न्याय विभाग - नयी दिल्ली को

पांच रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES FIVE ONLY

रुपए 5.00 Rs

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

कमीशन COMMISSION पैसे 50 PAISE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT

सुशील कुमार गुप्ता
लखीसराय पुरानी
बाजार डाकबंगला के निकट

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

74C 195138

पाँच टेका पाँच टाका પાંચ રૂપિયા ಐದು ರೂಪಾಯಿ پانچ روپے پانچ روپیہ ഞ്ചു രൂപ पाच रुपये ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ਪੰਜ ਰੁਪਏ पञ्च रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO संयुक्त सचिव - II
न्याय विभाग नई दिल्ली को

पांच रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES FIVE ONLY

रुपए 5.00 Rs

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

कमीशन COMMISSION पैसे 50 PAISE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT

सुशील कुमार गुप्ता
लखीसराय पुरानी
बाजार डाकबंगला के निकट

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

74C 195137